



पॉलिसी का प्रकार :	डिपार्टमेंटल	
इकाई:	शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट	
पॉलिसी शीर्षक :	वित्तीय सहायता पॉलिसी और बिलिंग/संग्रहण पॉलिसी	
प्रभावी तारीख :	06/05/2018	संशोधित तारीख: 06/05/2018

वित्तीय सहायता पॉलिसी

I. उद्देश्य :

शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट (SRI) हमारे समुदायों को उच्चतम गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी रोगियों को उनकी भुगतान करने की क्षमता की परवाह ना करते हुए आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल सेवाएं अनिवार्य रूप से प्राप्त हों।

II. पॉलिसी :

वित्तीय सहायता पॉलिसी ("FAP") SRI के लिए वित्तीय सहायता नीतियों और कार्यों का प्रारूप प्रदान करेगी। इस FAP के अनुसार SRI उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है और बीमा नहीं है, पर्याप्त बीमा नहीं, अयोग्य या अन्यथा उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के आधार पर चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं।

SRI बगैर किसी भेदभाव के ऐसे व्यक्तियों को उनकी भुगतान करने की क्षमता की परवाह नहीं करते हुए चिकित्सा दशाओं के लिए देखभाल उपलब्ध करवाएगा।

वित्तीय सहायता केवल चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, SRI इकाईयों में उपलब्ध करवाई जाने वाली सभी सेवाएं SRI के कर्मचारियों द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं और इसलिए इस FAP के अंतर्गत कवर नहीं हो सकती हैं। प्रदाताओं की सूची के लिए परिशिष्ट A का संदर्भ देखें जो SRI इकाई में आवश्यक चिकित्सा देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। यह परिशिष्ट उन विशेषज्ञताओं को निर्दिष्ट करता है जो इस FAP के अंतर्गत कवर नहीं की जाती हैं। यदि आवश्यक हुई तो सूचियों की तिमाही रूप से समीक्षा और अपडेट किया जाएगा।

III. परिभाषाएं :



इस FAP के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

सामान्यतः बिल की गई राशियां ("AGB"): इंटरनल रेवेन्यू कोड सेक्शन 501(r)(5) के अनुपालन में चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के मामले में FAP-योग्य रोगियों से ऐसे व्यक्ति से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसे ऐसी देखभाल के लिए बीमा कवरेज प्राप्त है।

AGB प्रतिशत : सकल शुल्क का प्रतिशत जो एक रीहेबिलिएशन हॉस्पिटल इकाई ऐसे व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करने के लिए निर्धारित करती है जो FAP के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य है।

योग्यता मापदण्ड : इस FAP में उल्लेखित (और प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित) मापदण्ड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या एक रोगी वित्तीय सहायता के लिए योग्य है या नहीं।

असाधारण संग्रहण कार्रवाईयां ("ECAs"): सभी कानूनी या न्यायिक प्रक्रियाएं, जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, वेतन का ग्रहण करना, संपत्ति पर ग्रहण अधिकार और क्रेडिट एजेंसियों को रिपोर्ट करना शामिल है। ECA में किसी व्यक्ति के ऋण को अन्य पक्ष को बिक्री मुकदमे, आवासों पर ग्रहण अधिकार, शारीरिक बंधक या इसके समान अन्य संग्रहण प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वित्तीय सहायता: किसी व्यक्ति या संगठन को धन, ऋण, टैक्स में कटौती आदि के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता। इस FAP के अनुसार वित्तीय सहायता किसी रोगी को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए छूट प्रदान करती है यदि वे स्थापित मापदण्डों को पूरा करते हैं और योग्य निर्धारित किए जाते हैं।

सकल शुल्क : शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट चिकित्सा देखभाल के लिए कीमत को पूरी तरह निर्धारित करते हैं जो निरंतर और एक समान रूप से रोगियों से कोई अनुबंधात्मक भत्ते, छूट या कटौतियों से पहले वसूल किए जाते हैं।

चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाएं: स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जो एक चिकित्सक विवेकपूर्ण क्लिनिकल निर्णय में अपनाता है, रोगियों को किसी बीमारी, चोट, रोग या इसके लक्षणों के मूल्यांकन, निदान या उपचार के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी, और जो : (ए) चिकित्सा प्रैक्टिस के सामान्य स्वीकार्य मानकों के अनुरूप हैं; (बी) क्लिनिकल रूप से उचित हैं; और (सी) प्राथमिक रूप से रोगी की सुविधा के लिए नहीं हैं।

नोटिफिकेशन अवधि: 120 दिन की अवधि जो 1ली पोस्ट-डिस्चार्ज विलिंग विवरण की तारीख से आरंभ होती है, जिसमें रोगी के विरुद्ध कोई ECA आरंभ नहीं की जा सकती है।

सरल भाषा सारांश ("PLS"): एक लिखित विवरण जो एक व्यक्ति को सूचित करता है कि SRI इस FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पेशकश करता है और अतिरिक्त जानकारी को एक स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान ढंग से प्रदान करता है।



बगैर बीमा : रोगी के पास बीमा का कोई स्तर नहीं होना या उनके भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सहायता के लिए तीसरे पक्ष की सहायता नहीं होना।

IV. वित्तीय सहायता योग्यता मापदण्ड :

SRI बीमा रहित रोगियों के लिए एक वित्तीय सहायता प्रोग्राम की पेशकश करता है। नीचे शामिल किया गया वित्तीय सहायता प्रोग्राम ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए छूटप्राप्त दरें उपलब्ध करवाता है यदि वे मापदण्ड को पूरा करते हैं और योग्य निर्धारित किए गए हैं।

कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम

SRI कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है और बगैर बीमा हैं, या अन्यथा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं। कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम

V. प्रक्रियाएं

यदि रोगी कोई भी बीमा कवरेज नहीं होने का दावा करता है तो उन्हें "कोई बीमा नहीं प्रमाणन" पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह व्याख्या की जाएगी कि यदि बाद में उन्हें बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा तो यह सेवा के उन दिनों के लिए बिल नहीं किया जाएगा जो कम्पैशनेट केयर के अंतर्गत पहले ही की गई हैं क्योंकि रेफरल और/या पूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए होंगे और/या समय पर फाइल करने की सीमाएं गुजर गई होंगी। सेवा के लिए भविष्य की तारीखों के लिए सभी रेफरल और/या पूर्व प्रमाणपत्र बीमा शर्तें उपचार जारी करने से पहले पूरी करनी होंगी।

जब एक रोगी बीमा कवरेज उपलब्ध करवाता है परंतु सत्यापन दर्शाता है कि लाभ समाप्त हो चुके हैं या प्रदान की जाने वाली सेवा(ओं) के लिए कोई लाभ नहीं है तो उन्हें एक "नॉन-कवरेज नोटिस" पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा जो कवरेज नहीं होने के कारणों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की स्वीकार्यता को दर्शाएगा। रोगियों को तब कवर-नहीं की गई सेवाओं के लिए कम्पैशनेट केश प्रोग्राम की पेशकश की जाएगी।

यदि रोगी बीमाकर्ता को बिल करने का आरोध करता है जबकि जानकारी है कि वह सेवा उनके वर्तमान लाभ पैकेज में कवर नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया जाएगा कि यदि लाभो का स्पष्टीकरण अस्वीकृति दर्शाता है कि रोगी जिम्मेदार नहीं है, नॉन-कवरेज के पूर्व नोटिफिकेशन के कारण वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय सहायता के लिए योग्य समझे गए किसी व्यक्ति को एक अनुकूल निर्धारण के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। IRC §501(r) के अनुसार SRI यह भी करेगा :

- एक विवरण उपलब्ध करवाना जो FAP-योग्य व्यक्ति की ओर बकाया राशि को दर्शाता है, उस राशि का निर्धारण कैसे किया गया और यदि लागू हो तो AGB से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है;



- व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अतिरिक्त भुगतान की धनवापसी करना; और
- SRI की ओर से कार्यरत तीसरे पक्षों के साथ मिलकर रोगी के विरुद्ध ऋण संग्रहण के लिए पहले किए गए किसी ECA को वापस करने के लिए तर्कसंगत उपलब्ध उपायों पर कार्य करना।

VI. वसूल किए जाने वाले शुल्कों की गणना का आधार

शोर रीहैबिलिएशन इंस्टिट्यूट – कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम

शोर रीहैबिलिएशन इंस्टिट्यूट के रोगियों को जो कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम के योग्य हैं उनके स्वयं-भुगतान शेष में से इनपेशेंट सेवाओं के लिए CMG पर आधारित मेडिकेयर प्रतिपूर्ति दर के 115% से कम और SRI या AGB द्वारा बिल की गई आउटपेशेंट सेवाओं के लिए निश्चित APC या थैरेपी फीस की कटौती (जैसा नीचे उल्लेखित है) करनी होगी।

AGB

IRC §501(r)(5) के अनुसार AGB की गणना के लिए SRI लुक-बैक विधि का इस्तेमाल करते हैं। AGB % की वार्षिक गणना की जाती है और मेडिकेयर मुफ्त-सेवा द्वारा अनुमति प्राप्त सभी दावों + 12-माह की अवधि में सभी प्रायवेट हेल्थ बीमा को उन दावों से संबंधित सकल शुल्कों द्वारा विभाजित करने पर आधारित होती है। AGB निर्धारित करने के लिए लागू होने वाले AGB % को सकल शुल्कों पर लागू किया जाता है। शोर रीहैबिलिएशन इंस्टिट्यूट के लिए AGB प्रतिशत इस प्रकार हैं:

शोर रीहैबिलिएशन इंस्टिट्यूट: 69%

इस FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए योग्य निर्धारित किए गए किसी व्यक्ति से किसी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए AGB से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी FAP-योग्य व्यक्ति से हमेशा AGB से कम या इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध किसी छूट से कम शुल्क लिया जाएगा।

VI. व्यापक रूप से प्रकाशन

FAP, कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम और PLS सभी निम्नलिखित वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं:

<https://www.meridianhealth.com/location/shore-rehabilitation-institute/index.aspx>

FAP, कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम और PLS की कागज प्रतियां अनुरोध करने पर बगैर शुल्क मेल द्वारा उपलब्ध हैं और सभी SRI इकाईयों के अंदर विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं। इसमें शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, रोगी पंजीकरण चैक-इन एरिया और बिजनेस ऑफिस।

SRI के सभी रोगियों को इनटेक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में PLS की एक प्रति की पेशकश की जाएगी।



वित्तीय सहायता की उपलब्धता के संकेत और डिस्प्ले स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

SRI समुदाय के सदस्यों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए पूरे वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले सामुदायिक आयोजनों (जैसे हेल्थ फेयर, जाँच, शिक्षा सत्रों, आदि) में समुदाय के सदस्यों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में बताने के द्वारा तर्कसंगत प्रयास करेगा।

SRI के FAP, आवेदन और PLS अंग्रेजी में और सीमित अंग्रेजी ज्ञान ("LEP") वाले लोगों की प्राथमिक भाषा में उपलब्ध हैं जो SRI के प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 1,000 से कम व्यक्ति हैं या सेवा किए जाने वाले समुदाय का 5% हैं।

SRI LEP व्यक्तियों और मूक-बधिर रोगियों के लिए मुफ्त दुभाषिया, अनुवाद और साइन लैंग्वेज सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रोगियों के लिए ये सेवाएं दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध हैं।

हम रोगियों को महत्वपूर्ण चिकित्सा बातचीत करने के लिए उपलब्ध दुभाषिया सेवाएं उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रोगी देखभाल उपचार में चिकित्सा शब्दावली शामिल होती है जो किसी भाषा में कठिन हो सकती है। समस्त शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट में उपलब्ध दुभाषिया सेवाओं में अधिकतर भाषाओं में फोन दुभाषिया सेवा शामिल है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सामान्य रोगी स्थितियों के लिए रोगी शिक्षण सामग्री का अनुवाद भी उपलब्ध है।

यदि आपको एक दुभाषिए, साइन लैंग्वेज दुभाषिए या एक अनुवादक की जरूरत है तो कृपया सहायता के लिए किसी SRI टीम सदस्य से सम्पर्क करें।

बिलिंग और संग्रहण पॉलिसी

I. उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि सभी बिलिंग, क्रेडिट और संग्रहण कार्य सभी फेडरल और स्टेट कानूनों, विनियमों और पॉलिसियों का अनुपालन करते हैं।

II. पॉलिसी

यह SRI की नीति है कि बिलिंग और संग्रहण कार्यों में अनुपालनकर्ता और सटीक रहे। इस पॉलिसी में सभी मापदण्डों को पूरा करने का लक्ष्य इस दस्तावेज में उल्लेख की गई प्रक्रियाओं का पालन करने के द्वारा हासिल किया जा सकता है। हमारे लक्ष्य के लिए बिजनेस ऑफिस, फाइनेंस, सूचना प्रणालियों और वेंडर मैनेजमेंट के बीच पूरा सहयोग और टीमवर्क अनिवार्य है।

III. प्रक्रियाएं



जब एक रोगी के दावे पर उनके बीमाकर्ता द्वारा कार्रवाई की जाती है, रोगी के दायित्व को दर्शाते हुए SRI को एक बिल भेजेगा। इसके अतिरिक्त, यदि एक रोगी के पास कोई तृतीय पक्ष कवरेज नहीं है तो उन्हें बिल प्राप्त होगा जो उनकी रोगी जिम्मेदारियों को दर्शाएगा। यह रोगियों के लिए पहला पोस्ट डिस्चार्ज बिलिंग विवरण होगा। इस विवरण की तारीख से एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन अवधियां (ऊपर परिभाषित) आरंभ हो जाएंगी।

रोगी को उनका पहला पोस्ट डिस्चार्ज बिलिंग विवरण प्राप्त होने के बाद SRI 3 अतिरिक्त विवरण (28 दिनों के अंतराल में कुल 4 बिलिंग विवरण) और 2 पत्र भेजेगा।

यदि 4 बिलिंग विवरणों के बाद भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो SRI रोगी को लिखित रूप में सूचित करते हुए एक पत्र भेजेगा कि यदि 30 दिनों के अंदर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो अकाउंट को उगाही के लिए भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पत्र में ECA (ऊपर परिभाषित) शामिल होगा जो रोगी के अकाउंट को उगाही में डालने के बाद लागू हो सकते हैं। लिखित नोटिस में PLS की एक प्रति भी शामिल होगी।

जब बिलिंग इनवॉयस यह वर्णित करते हुए वापस किए जाते हैं कि रोगी की मृत्यु हो गई या वितरित नहीं हुआ या अन्य कोई पता नहीं मिला है तो अकाउंट फॉलो-अप और सत्यापन के लिए पूर्व-संग्रह स्थिति में जाता है।

संग्रहण

बिलिंग चक्र के बीच में SRI अकाउंट को पूर्व-संग्रह को नहीं भेज सकता है। इस समय अवधि के दौरान, SRI की ओर से कार्यरत तृतीय पक्ष रोगी से बिल का भुगतान संग्रह करने के लिए सम्पर्क कर सकती हैं। जब अकाउंट पूर्व-संग्रहण चक्र में है तो रोगी के विरुद्ध कोई ECA लागू नहीं किए जा सकते हैं।

नोटिफिकेशन अवधि समाप्त होने के बाद, SRI रोगी के अकाउंट को उगाही के लिए भेजेगा। भुगतान प्राप्त करने के लिए कलेक्शन एजेंसियों की तकनीकों में टेलीफोन कॉल, पत्र और विभिन्न ECA शामिल हैं। उनकी सभी गतिविधियों को पूरी तरह बिलिंग प्रणाली में दस्तावेजीकरण किया जाएगा और कलेक्शन एजेंसियों को संचालित करने वाले स्टेट विनियमों के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

यदि कलेक्शन एजेंसियां इसके बाद असफल रहती हैं (180 दिनों की अवधि से अधिक नहीं) रोगी के अकाउंट को SRI को वापस भेज दिया जाएगा। अकाउंट वापस भेजने के समय कलेक्शन एजेंसियां उनकी गतिविधियों और परिणामों का पूरा दस्तावेजीकरण शामिल करेंगी कब रोगी के साथ सम्पर्क किया गया और इसके साथ ही SRI अकाउंट को वापस SRI को भेजने की तारीख।

IV. IRC §501(r)(6) का अनुपालन

IRC §501(r)(6) के अनुसार, नोटिफिकेशन अवधि समाप्त होने से पहले SRI किसी ECA में शामिल नहीं होगी।



नोटिफिकेशन अवधि के बाद SRI या इसकी ओर से कार्यरत कोई तृतीय पक्ष एक शेष बकाया के लिए रोगी के विरुद्ध निम्नलिखित ECA आरंभ कर सकते हैं यदि एक FAP-योग्यता निर्धारण नहीं किया गया है या एक व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं है।

- व्यक्ति के बारे में कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों या क्रेडिट ब्यूरो को प्रतिकूल जानकारी की रिपोर्ट करना;
- व्यक्ति की संपत्ति पर ग्रहण अधिकार रखना;
- किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति को प्रतिबंधित करना;
- एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट या अन्य निजी संपत्ति को सम्बद्ध या जब्त करना;
- व्यक्ति के विरुद्ध एक सिविल कार्रवाई आरंभ करना; और
- व्यक्ति के वेतन पर ग्रहण अधिकार रखना।

SRI नोटिफिकेशन अवधि के बाद तृतीय पक्षों को दोषपूर्ण रोगी अकाउंट पर ECA आरंभ करने के लिए अधिकृति कर सकता है। वे सुनिश्चित करेंगे कि यह निर्धारित करने के तर्कसंगत प्रयास किए गए हैं कि क्या एक व्यक्ति इस FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए योग्य है या नहीं और कोई ECA आरंभ करने से कम से कम 30 दिन पहले निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे :

1. रोगी को लिखित नोटिस दिया जाएगा जो :

- (a) दर्शाता है कि वित्तीय सहायता योग्य रोगियों के लिए उपलब्ध है;
- (b) ECA चिह्नित करता है जिसे SRI देखभाल के भुगतान को प्राप्त करने के लिए आरंभ करने का इच्छुक है; और
- (c) एक अंतिम तिथि वर्णित करता है जिसके बाद ECA आरंभ की जा सकती है।

2. रोगी को इस लिखित नोटिफिकेशन के साथ PLS की एक प्रति प्राप्त हुई है; और

3. व्यक्ति को FAP के बारे में और व्यक्ति वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया द्वारा कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है यह मौखिक रूप से सूचित करने के लिए तर्कसंगत प्रयास किए गए हैं।

SRI और उनकी ओर से कार्यरत तृतीय पक्ष के वेंडर इस पॉलिसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन अवधि में जमा किए गए सभी आवेदनों को स्वीकार और प्रक्रिया करेंगे।

परिशिष्ट A :

शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट प्रदाता सूची

SRI वित्तीय सहायता पॉलिसी शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट पर लागू होती है। शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट के अंदर सेवाएं प्रदान कर रहे विभिन्न चिकित्सक और अन्य हेल्थकेयर प्रदाताओं को अन्यथा इस वित्तीय सहायता पॉलिसी का पालन करना आवश्यक नहीं है।



नीचे सर्विस लाइन के अनुसार सूची दी गई है जो शोर रीहैबिलिएशन इंस्टीट्यूट में चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्रदाताओं की सूची जो इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए गए हैं:

- अतुरोध करने पर उपलब्ध करवाई जाएगी

सेवाओं की सूची जो इस वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत कवर नहीं की गई हैं

- अतुरोध करने पर उपलब्ध करवाई जाएगी